अनुबंध II

कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: मार्च 2020 से मार्च 2021[1]

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
	ए. भारत सरकार (जीओआई)
3 मार्च 2020	कुछ सक्रिय भैषज घटक (एपीआई) और उनसे बनी औषधि जैसे पैरासिटामोल, एसिक्लोविर, विटामिन बी1, बी6 और बी12 के निर्यात पर प्रतिबंध।
14 मार्च 2020	राज्य आपदा प्रतिसाद निधि (एसडीआरएफ) से सहायता के लिए मानदंड जारी किए गए।
19 मार्च 2020	सर्जिकल मास्क/डिस्पोजेबल मास्क (2/3 प्लाई मास्क), वेंटिलेटर (किसी भी कृत्रिम श्वसन साधन या ऑक्सीजन इलाज या किसी अन्य श्वसन साधन/यंत्र सहित), मास्क और कवरऑल्स के लिए टेक्सटाइल के कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध।
24 मार्च 2020	• सांविधिक और अनुपालन मामलों में छूट दी गयी जैसे आयकर/जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत करने, *विवाद से विश्वास* योजना के अंतर्गत भुगतान और विभिन्न कॉर्पोरेट मामलों, की समय सीमा बढ़ाना। • व्यापार वित्त उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल व्यापार लेनदेन पर बैंक प्रभारों को कम कर दिया गया। • वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को प्रवृत्त करने से रोकने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 4 के अंतर्गत चूक की प्रारंभिक सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ रुपये कर दिया गया। • डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर एटीएम से नकद आहरण के लिए लगाए जाने वाले प्रभारों में तीन महीने के लिए छूट। • सैनिटाइजर्स के निर्यात पर प्रतिबंध।
26 मार्च 2020 *(प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना)*	केंद्रीय वित्त मंत्री ने गरीबों के लिए *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना* के अंतर्गत ₹1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की ताकि उन्हें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहायता मिल सके। समर्थन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: • प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं/चावल और 1 किलो दाल प्रति परिवार प्रति माह 3 महीने के लिए निशुल्क प्रदान की जाएंगी। • *जन धन* महिला खाता धारकों को तीन महीने के लिए ₹500 रुपये प्रति माह की अनुग्रह राशि दी जाएगी। • गरीब *दिव्यांग,* विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित किए जाएंगे। • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की मजदूरी में ₹20 रुपये की वृद्धि की जाएगी। • गरीब परिवारों को 3 माह तक गैस सिलेंडर नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। • कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाएगा। • *प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि* (पीएम-किसान) के अंतर्गत 2020-21 में देय ₹2,000 की पहली किस्त अप्रैल 2020 में उपलब्ध कराई जाएगी। • राज्य सरकारों को कोविड-19 स्वास्थ्य प्रतिसाद के लिए जिला खनिज निधि के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग करने का निर्देश दिया जाएगा। • निर्माण श्रमिकों को सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण निधि का उपयोग करने का निर्देश दिया जाएगा।

[1] सूची सांकेतिक स्वरूप की है और सरकार से संबंधित उपायों के ब्यौरे सरकार की वेबसाइट पर और रिज़र्व बैंक से संबंधित उपायों के ब्यौरे भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

कोविड -19 पर प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
	• महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए संपार्श्विक मुक्त उधार सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की जाएगी। • 100 से कम श्रमिकों वाले कम वेतन अर्जक व्यवसायों के लिए अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदान, तीन महीने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। • ईपीएफ विनियमों में संशोधन किया जाएगा ताकि खातों से 75 प्रतिशत राशि या तीन महीने की मजदूरी, जो भी कम हो, अप्रतिदेय अग्रिम लेने के लिए महामारी को कारण के रूप में शामिल किया जा सके।
28 मार्च 2020	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य आपात स्थिति को देखते हुए कृषि स्वर्ण ऋण और अन्य कृषि खातों को केसीसी खातों में बदलने की तारीखों को बढ़ाने पर ज्ञापन जारी किया।
30 मार्च 2020	• प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने सभी नोडल लोक शिकायत अधिकारियों और भारत सरकार के विभागों को कोविड-19 से संबंधित शिकायतों को शीघ्र निपटाने की पद्धति सूचित की। • बैंकों द्वारा दिए गए ₹3 लाख रुपये तक के सभी फसल ऋण जो 1 मार्च से 31 मई 2020 के दौरान देय हैं, के लिए बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान और सभी किसानों के लिए 3 प्रतिशत त्वरित चुकौती प्रोत्साहन लाभ 31 मई 2020 तक बढ़ाया गया।
31 मार्च 2020	• कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट) अध्यादेश 2020 में बहुतायत आर्थिक कानूनों के अनुपालन और प्रवर्तन में छूट प्रदान की गयी। • विदेश व्यापार नीति 2015-20 को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और निर्यात और आयात पद्धति के क्षेत्र में अन्य छूट प्रदान की गयी।
2 अप्रैल 2020	कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए ई-एनएएम प्लेटफॉर्म की नई विशेषताएं शुरू की गईं।
3 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों के पास उपलब्ध धन को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि की वर्ष 2020-21 के लिए ₹11,092 की पहली किस्त अग्रिम रूप से जारी की गयी।
4 अप्रैल 2020	• कोविड-19 महामारी प्रकोप पर 21 दिन के लॉकडाउन के संबंध में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कई रियायत और छूट प्रदान की गयी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान किसी भी प्रतिकूल घटना से पीड़ित न हों। कृषि उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने के लिए कृषि मशीनरी, इसके स्पेयर पार्ट्स (इसकी आपूर्ति श्रृंखला सहित) और मरम्मत की दुकानें तथा राजमार्गों पर ट्रक मरम्मत के लिए दुकानें, विशेषतः ईंधन पंपों पर, खुली रहने की अनुमति दी गयी। इसके अलावा बागानों सहित चाय उद्योग को अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिकों के साथ कार्य करने की अनुमति दी गयी। • ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत देश के 24 राज्यों के 399 जिलों में एसएचजी सदस्यों द्वारा फेस मास्क उत्पादन शुरू किया गया। • हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और इससे बनी औषधियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया।
8 अप्रैल 2020	• यह घोषणा की गयी कि ₹5 लाख तक के सभी लंबित आयकर रिफंड, और सभी लंबित जीएसटी और कस्टम रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे, जिसकी कुल राशि ₹18,000 रुपये है। • भारतीय रेलवे ने देश भर में आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक वस्तुओं और अन्य वस्तुओं के राष्ट्रव्यापी परिवहन के लिए समय सारणी के साथ पार्सल ट्रेनों की निर्बाध सेवाएं शुरू कीं। • राहत कार्यों के लिए गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को नीलामी प्रक्रिया के बिना खुले बाजार योजना बिक्री दरों पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से सीधे खाद्यान्न खरीदने की अनुमति दी गयी।

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
9 अप्रैल 2020	• 'कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेर्डनेस पैकेज' के लिए ₹15,000 करोड़ की मंजूरी दी गयी। • गैर-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को राज्य सरकारों द्वारा जारी राशन कार्ड पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
15 अप्रैल 2020	खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने के लिए तेज गति की रेलवे सुविधा, *किसान रथ* मोबाइल ऐप और अखिल भारतीय *कृषि* परिवहन कॉल सेंटर की व्यवस्था की गयी।
18 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों की अवसरवादी खरीद /अधिग्रहणों को रोकने के लिए मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन किया गया।
13 मई 2020 (*आत्म निर्भर भारत अभियान*- भाग I)	• 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कवर के साथ ₹3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त ऋण, मानक व्यवसायों/ एमएसएमई को प्रदान किया जाएगा। • आंशिक ऋण गारंटी सहायता के साथ ₹20,000 करोड़ गौण ऋण, अनर्जक आस्ति (एनपीए) /दबावग्रस्त एमएसएमई को प्रदान किया जाएगा। • विकासक्षम और अर्थक्षम एमएसएमई के इक्विटी वित्तपोषण के लिए ₹10,000 करोड़ राशि से निधियों का कोष बनाया जाएगा। • बड़ी संख्या में फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिए एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया जाएगा। • मेक इन इंडिया समर्थन करने और एमएसएमई के लिए ई-मार्केट संपर्कों को बढ़ाने के लिए ₹200 करोड़ तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक निविदाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी। • सरकार/केंद्र सरकार के लोक उद्यमों (सीपीएसई) से एमएसएमई को प्राप्य राशियों को 45 दिनों में जारी किया जाएगा। • पात्र व्यवसायों और कामगारों के लिए ₹2,500 करोड़ की ईपीएफ सहायता को और 3 महीने (जून से अगस्त 2020 तक) के लिए विस्तारित किया जाएगा। • अन्य व्यवसायों और कामगारों के संबंध में, हर एक के ईपीएफ अंशदान को 3 महीने के लिए घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा, जिससे ₹6,750 करोड़ की चलनिधि उपलब्ध होगी। • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) /आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) / सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के लिए ₹30,000 करोड़ रुपये की विशेष चलनिधि योजना शुरू की जाएगी। • आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना को कम रेटिंग वाले एनबीएफसी/ एचएफसी/ एमएफआई के उधार को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। • बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) में ₹90,000 करोड़ की चलनिधि लगायी जाएगी। • केंद्र सरकार की विद्युत उत्पादन कंपनियां डिस्कॉम को छूट देंगी, जिसका लाभ अंतिम उपभोक्ताओं (उद्योगों) को दिया जाएगा। • स्थावर संपदा और निर्माण का दबाव कम करने के लिए उपाय किए जाएंगे, केंद्र सरकारी एजेंसियों द्वारा संविदाओं को 6 महीने तक बढ़ाया जाएगा। • स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) /स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) की दरें वर्ष 2020-21 की शेष अवधि में 25 प्रतिशत कम की जाएंगी। • *विवाद से विश्वास* योजना के अंतर्गत आयकर रिटर्न फ़ाइल करने और भुगतान करने की तारीखें और आगे बढ़ाई गईं।

कोविड -19 पर प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
14 मई 2020 (*आत्म निर्भर भारत अभियान*- भाग II)	• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/राज्य कार्ड के जो लाभार्थी नहीं हैं, उन प्रवासियों को 2 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की 83 प्रतिशत आबादी को अगस्त 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभों की राष्ट्रीय पोर्टबिलिटी के लिए 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा (मार्च 2021 तक 100 प्रतिशत)। • प्रवासी कामगारों/शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों (एआरएचसी) को विकसित और प्रोत्साहित किया जाएगा। • मुद्रा-*शिशु* ऋणों के त्वरित भुगतान कर्ताओं को 12 महीने की अवधि के लिए 2 प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। • फेरीवालों को ₹5,000 करोड़ की विशेष ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। • आवास क्षेत्र को ₹70,000 करोड़ प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए *प्रधानमंत्री आवास योजना* (पीएमएवाई)-शहरी के अंतर्गत मध्यम आय वर्ग के लिए क्रेडिट लिंक्ड आर्थिक सहायता योजना मार्च 2021 तक बढ़ायी जाएगी। • रोजगार के अवसर निर्माण करने हेतु वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यों के लिए क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) निधियों का उपयोग किया जाएगा। • नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता के माध्यम से किसानों को ₹30,000 करोड़ की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा। • *किसान* क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को ₹2 लाख करोड़ का रियायती ऋण दिया जाएगा।
15 मई 2020 (*आत्म निर्भर भारत अभियान*- भाग III)	• फार्म-गेट और समूह स्थानों पर कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ₹1,00,000 करोड़ की वित्तपोषण सुविधा प्रदान की जाएगी। • सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एमएफई) के औपचारीकरण के लिए ₹10,000 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी। • *प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना* (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मत्स्य पालन उद्योग के विकास के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। • डेयरी में निजी निवेश को समर्थन देने के लिए ₹15,000 करोड़ का पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कोष स्थापित किया जाएगा। • औषधिक खेती और मधुमक्खी पालन की पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। • ऑपरेशन ग्रीन, टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) के साथ-साथ सभी फल और सब्जियों के लिए प्रदान किया जाएगा । • कुछ खाद्य पदार्थों को अविनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन किया जाएगा। • बिना अवरोध अंतरराज्यीय व्यापार के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाएगा। • जोखिम कम करने, आश्वासित प्रतिफल, और गुणवत्ता मानकीकरण को शामिल करते हुए सुविधाजनक कानूनी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ताकि किसानों को प्रोसेसर/ एग्रीगेटर्स/ बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ा जा सके।
16 मई 2020 (*आत्म निर्भर भारत अभियान* - भाग IV)	• वाणिज्यिक कोयला उत्पादन और अन्वेषण में निजी क्षेत्र की सहभागिता को अनुमति दी जाएगी; कोयला गैसीकरण / द्रवीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा; कारोबारी सुगमता के लिए उपाय किए जाएंगे; कोल बेड मीथेन एक्सट्रेक्शन अधिकारों की, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की कोयला खदानों से नीलामी की जाएगी; सीआईएल के उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक शर्तों में रियायतें दी जाएंगी। • कोयला क्षेत्र में ₹50,000 करोड़ का इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
	• खनिज क्षेत्र में निजी निवेशों को बढ़ाने के लिए निर्बाध समग्र अन्वेषण-सह-खनन सह-उत्पादन व्यवस्था शुरू की जाएगी; 500 खनन ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी; बॉक्साइट और कोयला खनिज ब्लॉकों की संयुक्त रूप से नीलामी की जाएगी; कैप्टिव और नॉन-कैप्टिव खानों के बीच भेद हटा दिया जाएगा; विभिन्न खनिजों के लिए खनिज सूचकांक विकसित किया जा रहा है; खनन पट्टे के लिए देय स्टांप ड्यूटी को तर्कसंगत बनाया जाएगा। • आयात पर प्रतिबंध वाले हथियारों/ प्लेटफार्मों की एक सूची अधिसूचित की जाएगी; आयातित कलपुर्जों को स्वदेशीकृत किया जाएगा; आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा; स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया जाएगा; समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। • हवाई क्षेत्र का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जाएगा, जिससे उड़ान लागत में प्रति वर्ष ₹1,000 करोड़ रुपये की कमी आएगी; सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) के माध्यम से विश्व स्तरीय हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा; • चिकित्सा आइसोटोप के उत्पादन के लिए अनुसंधान रिएक्टरों, खाद्य संरक्षण के लिए विकिरण प्रौद्योगिकी की स्थापना हेतु पीपीपी को प्रोत्साहित किया जाएगा; और प्रौद्योगिकी विकास सह इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। • सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की मात्रा ₹8,100 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ बढ़ायी जाएगी। • बिजली क्षेत्र के लिए नई टैरिफ नीति जारी की जाएगी और संघ शासित प्रदेशों में पॉवर युटिलिटिज का निजीकरण किया जाएगा। • निजी क्षेत्र को अपनी क्षमताओं में सुधार के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी; उदार भू-अंतरिक्ष डेटा नीति तकनीकी उद्यमियों को रिमोट-सेंसिंग डेटा प्रदान करेगी; ग्रहों की खोज और बाहरी अंतरिक्ष यात्रा निजी क्षेत्र के लिए खुली की जाएगी।
17 मई 2020 (*आत्म निर्भर भारत अभियान* - भाग V)	• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को बढ़ाया जाएगा; सभी जिलों में संक्रामक रोग अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे; प्रयोगशाला और निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा; और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य योजना लागू की जाएगी । • प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम, मन:सामाजिक समर्थन के लिए *मनोदर्पण*, नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक फ्रेमवर्क, और राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और न्यूमेरसी मिशन शुरू किया जाएगा। • एमएसएमई के लिए विशेष दिवाला समाधान फ्रेमवर्क अधिसूचित किया जाएगा; एक वर्ष तक कोई भी नयी दिवाला कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी; आईबीसी के अंतर्गत दिवाला कार्यवाही प्रारंभ करने के प्रयोजन के लिए जो "चूक" की परिभाषा दी गयी है उसमें कोविड-19 संबंधित ऋण शामिल नहीं किया जाएगा; निजी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) सूचीबद्ध करती हैं, उन्हें सूचीबद्ध नहीं माना जाएगा; छोटी कंपनियों/ एक-व्यक्ति कंपनियों/ निर्माता कंपनियों/ स्टार्ट-अप के सभी चूक के लिए दंड कम किया जाएगा। • कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपराधों (तकनीकी और प्रक्रियात्मक स्वरूप की अल्प चूकों के लिए) को गैर आपराधिक माना जाएगा । • सार्वजनिक हित में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) की उपस्थिति अनिवार्य होने वाले कार्यनीतिक क्षेत्रों की सूची अधिसूचित की जाएगी; कार्यनीतिक क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्र में कम से कम एक उद्यम रहेगा लेकिन निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी जाएगी; अन्य क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा; और व्यर्थ की प्रशासनिक लागत को कम करने के लिए, कार्यनीतिक क्षेत्रों में उद्यमों की संख्या केवल एक से चार होगी। • वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी जाएगी, जो विशिष्ट सुधारों से आंशिक रूप से जुड़ी रहेगी तथा इससे ₹4.28 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। • वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा आवंटन में ₹40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की जाएगी।

कोविड -19 पर प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
23 मई 2020	एमएसएमई की आर्थिक परेशानी को कम करने के लिए पूरी तरह से गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) के रूप में ₹3 लाख करोड़ रुपये तक अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) पर अधिसूचना जारी की गयी है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत उधार देने वाली सदस्य संस्थाओं को दी गयी समग्र निधि राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कृत है। ₹25 करोड़ रुपये तक के बकाया ऋण वाले व्यावसायिक उद्यम/एमएसएमई सीमित अवधि के लिए इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
1 जून 2020	बैंकों द्वारा अग्रिम के रूप में कृषि सहित पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन हेतु दिए गए ₹3 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए, जो 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच देय है या देय हो जाएंगे, बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान और किसानों को 3 प्रतिशत त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के निरंतर लाभ के साथ उनकी चुकौती तिथि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाने पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ज्ञापन जारी किया है।
12 जून 2020	छोटे करदाताओं को विलंब शुल्क में कमी के माध्यम से जीएसटी छूट प्रदान की जाएगी, और पंजीकरण के निरसन का प्रतिसंहरण करने की मांग की अवधि में एक बार विस्तार दिया जाएगा।
20 जून 2020	*गरीब कल्याण रोजगार योजना* के अंतर्गत हाई रिवर्स माइग्रेशन का सामना कर रहे छह राज्यों में वापस लौटे प्रवासी कामगारों को 125 दिनों के लिए अतिरिक्त रोजगार देने का प्रावधान किया गया।
24 जून 2020	भारत सरकार ने " दबावग्रस्त आस्ति निधि- दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण" शुरू किया। गौण ऋण के लिए एक ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) शुरू की गयी जिसके अंतर्गत उन एससीबी को गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा जो दबावग्रस्त एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए सीजीटीएमएसई के सदस्य ऋण संस्था (एमएलआई) हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम का उद्देश्य बैंकों के माध्यम से दबावग्रस्त एमएसएमई के प्रवर्तकों को कारोबार में इक्विटी/ क्वासी-इक्विटी के रूप में ऋण की सुविधा प्रदान करना है।
30 जून 2020	*प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* के अंतर्गत खाद्यान्न की निशुल्क व्यवस्था नवंबर 2020 के अंत तक बढ़ा दी गयी।
6 जुलाई 2020	कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वित्त का प्रवाह बढ़ाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु विश्व बैंक और भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु 'आपातकालीन उपाय कार्यक्रम' के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
13 जुलाई 2020	मास्क और कवरऑल्स के लिए कपड़े के कच्चे माल से संबंधित निर्यात नीति में संशोधन किया गया, जिसके तहत 25-70 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) के गैर-बुने हुए कपड़े और विशिष्ट सामंजस्य वाले सिस्टम (एचएस) कोड पर निर्यातित किसी भी जीएसएम के मेल्ट ब्लोन फ़ैब्रिक निर्यात के लिए निषिद्ध थे। 25-70 जीएसएम के अलावा अन्य सभी गैर-बुने हुए कपड़े के निर्यात के लिए पूर्णत: मुक्त कर दिया गया।
17 जुलाई 2020	प्रधान मंत्री *आत्मनिर्भर भारत अभियान* प्रोत्साहन पैकेज में *अन्य बातों के साथ-साथ* कृषि द्वार (फार्म-गेट) इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹1,00,000 करोड़ का कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर कोष स्थापित किया गया। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) द्वारा सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को दिशानिर्देश जारी किए गए।
21 जुलाई 2020	पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) किट के निर्यात संबंधी अधिसूचना में संशोधन किया गया जिसके तहत सर्जिकल ड्रेप, आइसोलेशन एप्रन, सर्जिकल रैप्स और एक्स-रे गाउन के निर्यात को निषेध सूची से हटा दिया गया।
28 जुलाई 2020	सरकार ने 2/3 प्लाई सर्जिकल मास्क, चिकित्सकीय चश्मा (मेडिकल गॉगल) की निर्यात नीति को निषिद्ध श्रेणी से हटा कर प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल कर दिया और फेस शील्ड के निर्यात को निःशुल्क कर दिया गया। इसके अलावा, पात्र आवेदकों को निर्यात लाइसेंस जारी करने हेतु 2/3 प्लाई सर्जिकल मास्क के लिए प्रति माह चार करोड़ इकाइयों का एक मासिक निर्यात कोटा और मेडिकल गॉगल के लिए 20 लाख इकाई प्रति माह तय किया गया था।
4 अगस्त 2020	24 मार्च, 2020 की अधिसूचना में संशोधन करके, वेंटिलेटर (किसी भी कृत्रिम श्वसन साधन या ऑक्सीजन इलाज या किसी अन्य श्वसन साधन/ यंत्र सहित) निर्यात के लिए फ्री कर दिए गए।

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
6 अगस्त 2020	कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज की दूसरी किस्त की ₹890.3 करोड़ की कुल राशि 22 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई।
17 अगस्त 2020	आंशिक ऋण गारंटी योजना (पीसीजीएस) 2.0 को उभरती मांगों के अनुरूप अधिक लचीलेपन के साथ विस्तारित किया गया।
18 अगस्त 2020	दिनांक 13 जुलाई, 2020 की अधिसूचना संशोधित जिसके तहत विनिर्दिष्ट एचएस कोड पर निर्यातित किसी भी जीएसएम के केवल मेल्ट ब्लोन फ़ैब्रिक के निर्यात पर निषेध लगाया गया था। अन्य सभी बगैर बुने हुए किसी भी जीएसएम के कपड़े (25-70 जीएसएम सहित) को निर्यात के लिए पूर्णत: मुक्त कर दिया गया।
25 अगस्त 2020	2/3 प्लाई सर्जिकल मास्क, सभी प्रकार और श्रेणियों के मेडिकल कवरऑल्स के निर्यात को संशोधित कर प्रतिबंधित श्रेणी से हटा कर फ्री कर दिया गया। मेडिकल चश्मे को 20 लाख इकाइयों के मासिक कोटा के साथ एक प्रतिबंधित श्रेणी में बनाए रखा गया है और नाइट्राइल/ नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर (एनबीआर) दस्ताने निषिद्ध बने हुए हैं। एन-95/ फ़िल्टरिंग फेसपीस 2 (एफएफपी 2) मास्क या इसके समतुल्य मास्क की निर्यात नीति को निषिद्ध से प्रतिबंधित श्रेणी में परिशोधित किया गया था।
1 सितंबर 2020	• प्रधान मंत्री *आत्मनिर्भर भारत अभियान* प्रोत्साहन पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ ₹15,000 करोड़ के पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कोष (एएचआईडीएफ) की स्थापना की। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जारी किए गए थे। • मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) के तहत कुल रिवार्ड्स पर एक सीमा लगाई गई थी। योजना के तहत आयात निर्यात कोड (आईईसी) धारक को दिया जाने वाला कुल रिवार्ड 1 सितंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के दौरान किए गए निर्यात में प्रति आईईसी ₹2 करोड़ से अधिक नहीं होगा। कोई भी आईईसी धारक जिसने 1 सितंबर, 2020 या उससे पहले एक वर्ष की अवधि के लिए कोई निर्यात नहीं किया है या 1 सितंबर, 2020 या उसके बाद आईईसी प्राप्त की है, वह धारक एमईआईएस के तहत कोई भी दावा प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा। इसके अलावा, एमईआईएस योजना को 1 जनवरी, 2021 से समाप्त किया जाता है। उपरोक्त सीमा अधोगामी संशोधन के अधीन होगी, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि 1 सितंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के दौरान एमईआईएस के तहत कुल दावा सरकार द्वारा निर्धारित ₹5,000 करोड़ के आबंटन से अधिक न हो।
4 सितंबर 2020	बदलती तकनीक और नए प्रकार के तैयार चमड़े के संदर्भ में, सरकार ने नयी क़िस्मों के चमड़े के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार चमड़े के मानदंडों को परिशोधित किया।
14 सितंबर 2020	सभी क़िस्मों की प्याज के निर्यात पर निषेध की घोषणा की गई।
23 सितंबर 2020	भारत सरकार ने 'औद्योगिक संबंध', 'सामाजिक सुरक्षा' और 'व्यावसायिक सुरक्षा', स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर तीन श्रम संहिताएँ बनायीं। 'वेतन पर संहिता' पहले अधिनियमित की गई थी और इस प्रकार 29 श्रम कानूनों को चार संहिताओं में मिला दिया गया।
30 सितंबर 2020	माल और सेवा कर (जीएसटी) करदाताओं को ई-चालान के कार्यान्वयन में राहत दी गई ।
1 अक्टूबर 2020	स्टील निर्माताओं द्वारा उनके सेवा केंद्रों/ वितरकों/ डीलरों/ स्टॉक यार्ड के माध्यम से स्टील की आपूर्ति पर शुल्क वापसी योजना को विस्तारित किया गया।
6 अक्टूबर 2020	दिनांक 25 अगस्त, 2020 को संशोधित अधिसूचना के तहत एन-95/ एफएफपी-2 मास्क या इसके समतुल्य मदों के निर्यात को प्रतिबंधित से संशोधित कर मुक्त श्रेणी में लाते हुए सभी प्रकार के मास्कों को मुक्त रूप से निर्यात योग्य बनाया गया।
9 अक्टूबर 2020	10,000 मीट्रिक टन (एमटी) की मात्रा तक के बेंगलुरु की गुलाबी प्याज और कृष्णपुरम प्याज, प्रत्येक दिनांक 31 मार्च 2021 तक, के निर्यात की अनुमति दी गई।

कोविड -19 पर प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
12 अक्टूबर 2020 *(आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0)*	• छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) नकद वाउचर योजना की घोषणा की गई। • मांग में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों, दोनों के लिए विशेष उत्सव अग्रिम योजना को एकबारगी उपाय के रूप में पुनर्जीवित किया गया। • पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों को जारी किए जाने के लिए ₹12,000 करोड़ का विशेष ब्याज मुक्त 50-वर्षीय ऋण। • केंद्रीय बजट 2020-21 में दिए गए ₹4.13 लाख करोड़ के अलावा पूंजीगत व्यय के लिए ₹25,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रदान किया गया।
15 अक्टूबर 2020	• राज्यों के लिए उधार लेने की एक विशेष व्यवस्था की घोषणा की गई, जिसके तहत ₹1.1 लाख करोड़ के अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की कमी की पूर्ति हेतु भारत सरकार से उपयुक्त चरणों में उधार लिया जाएगा और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जारी करने के बदले में ऋण समर्थित ऋण के रूप में राज्यों को इसकी भरपाई का जिम्मा सौंपा जाएगा। • डिस्पेंसर पंप के साथ कंटेनरों में अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र का मुक्त रूप से निर्यात-योग्य बना दिया गया जिससे किसी भी रूप/पैकेजिंग में अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर मुक्त रूप से निर्यात-योग्य हो गया।
22 अक्टूबर 2020	नाइट्राइल/ एनबीआर दस्तानों के निर्यात को निषिद्ध से प्रतिबंधित श्रेणी में परिशोधित किया गया।
23 अक्टूबर 2020	भारत सरकार ने विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छः महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के *अनुग्रह भुगतान* की आर्थिक सहायता की योजना की घोषणा की है (1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020)।
24 अक्टूबर 2020	• कोविड-19 के प्रकोप के कारण करदाताओं की चुनौतियों को देखते हुए आयकर रिटर्न के भुगतान और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख को आगे बढ़ाया गया। • 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न और समाधान विवरण को प्रस्तुत करने की नियत तारीख को 31 अक्टूबर, 2020 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दिया गया।
27 अक्टूबर 2020	*विवाद से विश्वास* योजना के तहत अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया गया।
29 अक्टूबर 2020	प्याज के बीज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया।
2 नवंबर 2020	केंद्र सरकार ने आपातकालीन ऋण व्यवस्था गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को एक महीने के लिए 30 नवंबर, 2020 तक विस्तारित किया है या इस योजना के तहत ₹ 3 लाख करोड़ की राशि संस्वीकृत होने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया है।
12 नवंबर 2020 *(आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0)*	• 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए ₹1.46 लाख करोड़ के मूल्य का उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई), जिनमें एडवांस सेल कैमिस्ट्री बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक/ प्रौद्योगिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, कपड़ों से बने उत्पाद, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर फोटो -वोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल, भारी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ (एयर कंडीशनर- एसी और *एलईडी* लाइट्स), और विशिष्ट इस्पात शामिल हैं। • निर्माण क्षेत्र में कारोबारी सुगमता लाने और जिन ठेकेदारों का पैसा कहीं फँस गया है, उनको राहत देने के लिए, संविदाओं पर कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को 5-10 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है। यह चालू संविदाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भी विस्तारित किया जाएगा। निविदाओं के लिए बयाना जमा-राशि (ईएमडी) को बोली सुरक्षा घोषणा-पत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। सामान्य वित्तीय नियमों में छूट 31 दिसंबर, 2021 तक लागू रहेगी। • देशी रक्षा उपकरण, औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और हरित ऊर्जा पर पूँजीगत और औद्योगिक व्यय के लिए ₹10,200 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन प्रदान किया गया। • *आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना* को कोविड-19 के समुत्थान के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया।

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
	• ईसीएलजीएस 2.0 को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र और ऐसे 26 दबावग्रस्त क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया था, जिनमें अन्य मानदंडों के अलावा 29 फरवरी, 2020 तक की स्थिति में ₹50 करोड़ से लेकर ₹500 करोड़ तक का क्रेडिट बकाया था। ये संस्थाएँ/ उधारकर्ता खाते संपार्श्विक मुक्त गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) के रूप में अपने कुल बकाया क्रेडिट की 20 प्रतिशत तक की अतिरिक्त निधि के लिए पात्र होंगे, जो पूरी तरह से राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा गारंटीकृत होगी। ईसीएलजीएस 2.0 के अंतर्गत दिये गए ऋण का परिपक्वता काल पाँच वर्ष है तथा इसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर 12 माह का अधिस्थगन दिया जाएगा। इस योजना को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया। • *प्रधानमंत्री आवास योजना*- शहरी के लिए ₹18,000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया गया। • डेवलपर्स और घर खरीदारों के लिए आयकर में राहत देने की घोषणा की गई। • राष्ट्रीय निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर निधि (एनआईआईएफ) को 2025 तक इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए ₹1.1 लाख करोड़ का कर्ज मुहैया कराने में मदद करने के लिए एनआईआईएफ के कर्ज प्लैटफ़ार्म में ₹6,000 करोड़ के इक्विटी निवेश की घोषणा की गई। • कृषि को संबल प्रदान करने के लिए सब्सिडी-प्राप्त उर्वरकों के लिए ₹65,000 करोड़ दिये गए। • ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए *प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना* के लिए ₹10,000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया गया। • कोविड-19 के टीके के विकास संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को ₹900 करोड़ प्रदान किए गए। • भारत सरकार ने एक्ज़िम बैंक को निर्यात परियोजनाओं के संवर्धन हेतु भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आइडियाज) के अंतर्गत ₹3,000 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की। इससे एक्ज़िम बैंक को विकास सहायता गतिविधियों और भारत से निर्यात के लिए ऋण व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। • विनिर्दिष्ट पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) सहित कपड़ों और मास्क (एनबीआर दस्ताने और चिकित्सा चश्मे) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया वहीं कुछ वस्तुओं जैसे सर्जिकल ब्लेड, गैर-बुने डिस्पोजेबल शू कवर, एयरमैन, फायरमैन, गोताखोरों और पर्वतारोहियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले श्वास उपकरण, गैस मास्क, तिरपाल, पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) कन्वेयर बेल्ट और बायोप्सी पंच को छूट दी गई।
26 नवंबर 2020	भारत सरकार ने ईसीएलजीएस 1.0 को ईसीएलजीएस के तहत उन संस्थाओं को विस्तारित करने का निर्णय लिया, जिनका 29 फरवरी, 2020 की स्थिति में कुल ₹50 करोड़ तक का क्रेडिट बकाया था, लेकिन पहले ₹250 करोड़ से अधिक के वार्षिक कारोबार के कारण इस सुविधा हेतु अपात्र थे।
16 दिसंबर 2020	सुधार से जुड़े लाभों के लिए पात्र होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक केंद्रित सुधारों को पूरा करने के लिए राज्यों के लिए समय-सीमा का विस्तार।
18 दिसंबर 2020	सरकार ने प्रशुल्क दर कोटा (टीआरओ) के तहत 30 सितंबर, 2021 तक अमेरिका को कच्ची चीनी के निर्यात के लिए 8,424 मीट्रिक टन के अपरिकलित मूल्य (रॉ वैल्यू) का आबंटन किया।
22 दिसंबर 2020	मेडिकल चश्मे और नाइट्राइल/ एनबीआर दस्ताने को प्रतिबंधित से मुक्त श्रेणी में लाकर निर्यात नीति में बदलाव।
28 दिसंबर 2020	दिनांक 1 जनवरी, 2021 से बेंगलुरु की गुलाबी प्याज और कृष्णपुरम प्याज सहित सभी प्याज किस्मों के निर्यात की अनुमति दी गई।
30 दिसंबर 2020	2019-20 के लिए आयकर रिटर्न, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, *विवाद से विश्वास* योजना के तहत घोषणा-पत्र, विभिन्न प्रत्यक्ष करों और *बेनामी* अधिनियमों के तहत कार्यवाही पूरी करने, छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं द्वारा स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 के तहत वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथियां बढ़ा दी गई।

कोविड -19 पर प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
1 फरवरी 2021 *(केंद्रीय बजट 2021-22)*	• स्वास्थ्य और कल्याण को मुख्य विषय के रूप में रखते केंद्रीय बजट 2021-22 प्रस्तुत किया गया। प्रमुख घोषणाओं में निम्न बिन्दु शामिल हैं: • एक नई केंद्र प्रायोजित योजना *प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना* का 6 वर्षों की अवधि के लिए लगभग ₹64,180 करोड़ के परिव्यय के साथ शुभारंभ। • एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम मिशन *पोषण* 2.0 शुरू किया गया। • कोविड-19 टीके के विकास और उत्पादन के लिए ₹35,000 करोड़ प्रदान किए गए। • भारत में निर्मित न्यूमोकोकल वैक्सीन का पूरे देश में रोल-आउट। • *जल जीवन मिशन* (शहरी) के लिए अगले पांच वर्षों में ₹2.87 लाख करोड़ प्रदान किए गए। • 2021-26 के दौरान पांच वर्षों की अवधि में लगभग ₹1.42 लाख करोड़ के कुल वित्तीय आबंटन के साथ लागू किया जाने वाला शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 । • राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवायफरी आयोग विधेयक की शुरुआत, स्वच्छ हवा, वाहन स्क्रैपिंग नीति आदि से संबंधित घोषणाएँ की गईं। • स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 2020-21 (बी.ई.) के ₹94,452 करोड़ की तुलना में 2021-22 (बी.ई.) में ₹2.24 लाख करोड़ (137 प्रतिशत की वृद्धि) के परिव्यय का बजट रखा गया। • श्रमिकों और नियोक्ताओं के लिए मंच प्रदान करने और सरकार के लिए ऐसे श्रमिकों हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रवासी श्रमिकों का पहली बार राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाएगा। • श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडबल्यू) की परिकल्पना की है जो *आधार* से जुड़ा होगा । यह परियोजना प्रवासी श्रमिकों सहित सभी असंगठित श्रमिकों को दर्ज करेगी। • पहली बार गिग और प्लैटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जाएगा। श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु ₹11,674.1 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। यह पिछले आवंटन ₹8,725.1 करोड़ और संशोधित अनुमान ₹11,670.1 करोड़ से अधिक है। • 'वन नेशन वन राशन कार्ड' से प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों और बुनकरों/ कपड़ा श्रमिकों को लाभ होगा। इसके लाभार्थी देश-भर में कहीं भी राशन ले सकते हैं। • कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत न्यूनतम मजदूरी और कवरेज सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए लागू होगा। पर्याप्त सुरक्षा के साथ रात की पाली सहित सभी श्रेणियों में महिला कामगारों को अनुमति दी गई है। • एकल पंजीकरण और लाइसेंसीकरण, और ऑनलाइन रिटर्न के साथ नियोक्ताओं पर अनुपालन बोझ कम हो जाएगा। • युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने के लिए अप्रेंटिसशिप अधिनियम में, संशोधन प्रस्तावित। शिक्षा के बाद अप्रेंटिसशिप, स्नातकों और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा-धारकों के लिए के प्रशिक्षण के लिए मौजूदा राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना को (एनएटीएस) को पुनर्संरेखित करने के लिए ₹3,000 करोड़ । • एक स्थायी संस्थागत निकाय बनाने का प्रस्ताव, जो तनावग्रस्त और सामान्य, दोनों समय में निवेश ग्रेड ऋण प्रतिभूतियों की खरीद करेगा और बॉण्ड बाजार के विकास में मदद करेगा। यह तनाव के समय में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में प्रतिभागियों के बीच विश्वास पैदा करेगा और आम तौर पर द्वितीयक बाजार की तरलता को बढ़ाएगा। • विकास वित्त संस्था (डीएफआई) को ₹20,000 करोड़ की आधारभूत निधि के साथ स्थापित करने का प्रस्ताव। • सार्वजनिक आस्तियों के मुद्रीकरण (मनीटाइजेसन) के लिए राष्ट्रीय आस्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन स्थापित करने का प्रस्ताव।

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
मार्च 31 2021	• *आधार* संख्या सूचना और उसे स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी गई। • विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) द्वारा जारी निर्देश के लिए परिणामी आदेश पारित करने और समकारी लेवी स्टेटमेंट के प्रसंस्करण की समय-सीमा 30 अप्रैल, 2021 तक बढ़ा दी गई थी। • ईसीएलजीएस की वैधता को 30 जून 2021 या ₹3 लाख करोड़ की राशि की गारंटी जारी किए जाने तक बढ़ा दिया गया। • ईसीएलजीएस 3.0 को विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, अवकाश और खेल-कूद से संबंधित क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है। • विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-20 को 6 महीने के लिए सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया।
बी. भारतीय रिज़र्व बैंक	
मौद्रिक नीति विभाग	
27 मार्च 2020	• मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अप्रैल 2020 में आयोजित होने वाली अपनी बैठक पहले ही मार्च में आयोजित कर दी और नीति रेपो दर 75 आधार अंकों से घटाकर 4.4 प्रतिशत कर दिया। रिवर्स रेपो दर 90 आधार अंकों से घटाकर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया जिससे एसिमेट्रिक कॉरिडॉर बन गया।[2] • 26 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए 28 मार्च 2020 से सीआरआर 100 आधार अंकों से घटाकर[3] एनडीटीएल का 3.0 प्रतिशत कर दिया गया है। • 28 मार्च 2020 से 90 प्रतिशत न्यूनतम दैनिक सीआरआर शेष को बनाए रखने की निर्धारित अपेक्षा को घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया। यह व्यवस्था शुरू में 26 जून तक प्रदान की गयी थी जिसे अब 25 सितंबर 2020[4] तक बढ़ा दिया गया है। • 28 मार्च 2020[5] से सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) उधार को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया। यह सुविधा शुरू में 30 जून 2020 तक दी गयी थी जिसे अब 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
17 अप्रैल 2020	• रिवर्स रेपो दर 25 आधार अंकों से घटाकर 3.75 प्रतिशत कर दिया गया। • नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को कुल ₹50,000 करोड़ रुपये की विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गईं ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों की ऋण जरूरतों को पूरा कर सकें।[6]
22 मई 2020	• एमपीसी की जून 2020 की बैठक पहले की गयी और नीति रेपो दर को 40 आधार अंकों से घटाकर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया। • रिवर्स रेपो दर को 40 आधार अंकों से घटाकर 3.35 प्रतिशत किया गया।

[2] रिवर्स रेपो दर से संबंधित इस उपाय का उद्देश्य रिज़र्व बैंक के साथ निष्क्रिय रूप से धन जमा करना तुलनात्मक रूप से बैंकों के लिए अनाकर्षक बनाना और इसके बजाय, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को आगे उधार देने के लिए इन निधियों का उपयोग करना है।

[3] सीआरआर में की गयी इस कमी से अतिरिक्त एसएलआर धारिता के संदर्भ के बजाय घटकों की देनदारियों के अनुपात में बैंकिंग प्रणाली में समान रूप से लगभग ₹1,37,000 करोड़ रुपये की प्राथमिक चलनिधि निर्मोचित की गयी।

[4] इस उपाय की घोषणा कर्मचारियों की सोशल डिस्टेंसिंग और उसके कारण रिपोर्टिंग अपेक्षाओं पर आने वाले दबाव के संदर्भ में बैंकों की कठिनाइयों को संज्ञान लेते हुए की गयी।

[5] देशी वित्तीय बाजारों में असाधारण अत्यधिक अस्थिरता को देखते हुए, बैंकिंग प्रणाली को राहत प्रदान करने के लिए यह घोषणा की गयी ।

[6] इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के पुनर्वित्तपोषण के लिए नाबार्ड को ₹25,000 करोड़ रुपये; आगे उधार देन/पुनर्वित्त के लिए सिडबी को ₹15,000 करोड़ रुपये; और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को समर्थन देने के लिए एनएचबी को ₹10,000 करोड़ रुपये शामिल है। इस सुविधा के अंतर्गत आरबीआई के नीति रेपो दर पर अग्रिम दिए गए थे।

कोविड -19 पर प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
	• एक्जिम बैंक को ₹15,000 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया ताकि वह अपनी विदेशी मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी डॉलर स्वैप सुविधा का लाभ उठा सके। इसकी अवधि ऋण लेने की तारीख से 90 दिन है तथा अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक इसे रोल ओवर किया जा सकता है।
6 अगस्त 2020	• नीतिगत रिपो दर 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी रही। • यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।
28 सितंबर 2020	27 मार्च 2020 को बैंकों को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत तक, *अर्थात* संचयी रूप से एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का उपयोग कर सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत फंड्स का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी। यह सुविधा प्रारंभ में 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी, जिसे 26 जून 2020 को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। बैंकों को अपनी चलनिधि आवश्यकताओं पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से, साथ ही चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम करने के लिए, इस छूट को 28 सितंबर 2020 को अगले छः महीनों की अवधि के लिए *अर्थात्* 31 मार्च 2021 तक विस्तारित किया गया।
9 अक्टूबर 2020	यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने एक टिकाऊ आधार पर विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो- कम से कम चालू वित्त वर्ष के दौरान और अगले वित्त वर्ष में निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।
5 फरवरी 2021	28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से 26 मार्च 2021 तक एक वर्ष की अवधि के लिए सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 100 आधार अंकों से घटाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 3.00 प्रतिशत कर दिया गया था। 5 फरवरी 2021 को सीआरआर को अविघटनकारी रूप से दो चरणों में क्रमश: बहाल करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, बैंकों के लिए 27 मार्च 2021 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से अपने एनडीटीएल के 3.50 प्रतिशत और 22 मई 2021 से शुरू होने वाले पखवाड़े से एनडीटीएल के 4.00 प्रतिशत पर सीआरआर को बनाए रखना था। बैंकों को अपनी चलनिधि आवश्यकताओं पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का उपयोग कर सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत अतिरिक्त फंड्स का लाभ को अगले छः महीनों की अवधि के लिए अर्थात 30 सितंबर 2021 तक विस्तारित किया गया। एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का उपयोग कर सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत फंड्स का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी।
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	
31 मार्च 2020	ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋणों तथा सभी अल्पावधि फसल ऋणों को केसीसी ऋण में परिवर्तित करने के लिए 30 जून 2020 तक अवधि विस्तार पर परिपत्र।
4 जून 2020	वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए आईएसएस और पीआरआई के लिए 31 अगस्त 2020 तक अधिस्थगन अवधि के विस्तार पर परिपत्र।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	
27 मार्च 2020	गैर-डेरिवेटिव बाजारों में विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) के कार्यान्वयन की समय सीमा 30 सितंबर 2020 तक बढ़ायी गयी।
3 अप्रैल 2020 के बाद 16 अप्रैल और 30 अप्रैल 2020	रिज़र्व बैंक के विनियमन के अंतर्गत विभिन्न बाजारों के लिए कारोबारी समय में संशोधन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार सहभागी अपने संसाधनों के अनुकूलन के साथ-साथ और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त जांच और नियंत्रण बनाए रखें।
18 मई 2020	विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग के निर्देशों (दिनांक 7 अप्रैल, 2020) के कार्यान्वयन की तिथि 1 जून 2020 से स्थगित कर 1 सितंबर 2020 कर दी गयी।

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
22 मई 2020	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) जिन्हें 24 जनवरी 2020 और 30 अप्रैल 2020 के बीच स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) योजना के अंतर्गत निवेश सीमा आवंटित की गयी थी, को उनके प्रतिबद्ध पोर्टफोलियो आकार (सीपीएस) का 75 प्रतिशत निवेश करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया।
2 नवंबर 2020	लॉकडाउन को क्रमिक रूप से समाप्त करने और लोगों के आवागमन और कार्यालयों के कामकाज पर प्रतिबंधों में ढील के बाद रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों के लिए ट्रेडिंग घंटों को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 2 बजे से आंशिक रूप से संशोधित कर पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3.30 बजे कर दिया गया।
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
12 मार्च 2020	विदेशी मुद्रा बाजार[7] को अमेरिकी डॉलर चलनिधि प्रदान करने के लिए 6 महीने के अमेरिकी डॉलर की खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस तरह की पहली स्वैप नीलामी 16 मार्च 2020 को की गयी।
18 मार्च 2020	18 मार्च 2020 से जून 2020 तक रिज़र्व बैंक द्वारा एनडीएस-ओएम पर संचालित किए गए परिचालनों सहित ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) के माध्यम से ₹1,63,444 करोड़ की शुद्ध चलनिधि डाली गयी। पहली ओएमओ नीलामी 18 मार्च 2020 को की गयी।
23 मार्च 2020	₹1,00,000 करोड़ राशि के दो परिवर्ती दर रेपो की घोषणा । इसके बाद, 26 मार्च और 31 मार्च 2020 को ₹75,000 करोड़ के अतिरिक्त परिवर्ती दर रेपो परिचालनों का संचालन किया गया।
24 मार्च 2020	स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (एसपीडी) को उपलब्ध सीमांत चलनिधि सुविधा (एसएलएफ) को अस्थायी रूप से ₹2,800 करोड़ से बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ कर दिया गया।
27 मार्च 2020	लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बैंकों द्वारा ली गयी चलनिधि को उनके इन बॉन्डों में पहले से किए गए निवेश के बकाया स्तर से अतिरिक्त, निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाना था। इस प्रकार की पहला टीएलटीआरओ परिचालन 27 मार्च 2020 को किया गया।
30 मार्च 2020	अंतरिम उपाय के रूप में निर्धारित दर रिवर्स रेपो और एमएसएफ परिचालन विंडो टाइमिंग का विस्तार किया गया ताकि पात्र बाजार सहभागियों को उनके चलनिधि प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके ।
17 अप्रैल 2020	नीति रेपो दर पर लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) 2.0 का संचालन करने का निर्णय लिया गया । बैंकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाना है, जिसमें से ली गयी कुल राशि का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा छोटे और मध्य आकार के एनबीएफसी और एमएफआई के लिए नियोजित करना है। इस सुविधा के अंतर्गत किए गए निवेशों को एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने के लिए अनुमत कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर भी परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत एक्सपोजर को भी बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इस तरह की पहली टीएलटीआरओ 2.0 नीलामी 23 अप्रैल 2020 को की गयी।
27 अप्रैल 2020	म्यूचुअल फंडों पर चलनिधि का दबाव कम करने के लिए म्यूचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ-एमएफ) शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस सुविधा के अंतर्गत बैंकों द्वारा ली गयी चलनिधि का उपयोग केवल म्यूचुअल फंडों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने के लिए अनुमत कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर भी, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत एक्सपोजर को भी बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इस प्रकार की पहली एसएलएफ-एलएफ नीलामी 27 अप्रैल 2020 को की गयी।
30 अप्रैल 2020	यह निर्णय लिया गया कि एसएलएफ-एमएफ योजना के अंतर्गत घोषित विनियामक लाभों को सभी बैंकों को दिया जाए, म्यूचुअल फंड संबंधी चलनिधि जरूरतों के लिए चाहे वे रिज़र्व बैंक से धन प्राप्त करें या उपर्युक्त योजना के अंतर्गत अपने स्वयं के संसाधन से नियोजित करें।

[7] इस उपाय की घोषणा इसलिए की गयी कि कोविड-19 संक्रमण के प्रकोप के कारण विश्व के वित्तीय बाजार अत्यधिक जोखिम से बचने के लिए तीव्र बिक्री दबाव का सामना कर रहे थे।

कोविड -19 पर प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
1 जुलाई 2020	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (सूक्ष्म वित्त संस्थानों-एमएफआई सहित) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की चलनिधि की स्थिति में सुधार हेतु ₹30,000 करोड़ की एक योजना को अधिसूचित किया गया। वित्तीय क्षेत्र के लिए किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के लिए कतिपय वित्तीय मापदंडों को पूरा करने वाले एनबीएफसी (एमएफआई सहित)/ एचएफसी को चलनिधि (लिक्विडिटी) उपलब्ध कराई की गई। इस योजना के तहत, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. (एसबीआईकैप) द्वारा स्थापित ट्रस्ट विशेष चलनिधि योजना (एसएलएस) के रूप में एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा जारी सरकारी गारंटीकृत विशेष प्रतिभूतियों को सब्सक्राइब कर बैक-टू-बैक फ़ंडिंग द्वारा रिज़र्व बैंक ने लिक्विडिटी डाली है।
6 अगस्त 2020	कोविड-19 के कारण होने वाले व्यवधानों के संबंध में मानव संसाधन परिनियोजन का अनुकूलन करने और पात्र एलएएफ/ एमएसएफ प्रतिभागियों को अपने दिन की समाप्ति पर नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) शेष के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपने *ई-कुबेर* सिस्टम में वैकल्पिक स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा का सूत्रपात किया।
31 अगस्त 2020	• बैंकों को दीर्घावधि रिपो परिचालन (एलटीआरओ) योजना के अंतर्गत उपभोग की गई निधि को परिपक्वता से पहले चुकाने का विकल्प दिया गया था। तदन्तर, बैंकों ने कुल ₹1,25,117 करोड़ में से ₹1,23,572 करोड़ की एलटीआरओ निधियों को रिवर्स कर दिया। • 11 सितंबर और 14 सितंबर, 2020 को अस्थिर दरों (रिपो दर) पर कुल ₹1,00,000 करोड़ की 56-दिवसीय सावधि रिपो नीलामियों का आयोजन किया गया था, ताकि अग्रिम कर बहिर्वाह के कारण बढ़ते चलनिधि दबाव को कम किया जा सके।
9 अक्टूबर 2020	• विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में गतिविधियों के पुनरुद्धार पर चलनिधि उपायों का ध्यान केंद्रित करने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने ऑन टैप टारगेटेड एलटीआरओ (टीएलटीआरओ) योजना की घोषणा की। तदनुसार, पॉलिसी रिपो दर से सहलग्न अस्थायी दर (रिपो दर) पर कुल ₹1,00,000 करोड़ तक की राशि के लिए तीन वर्षों तक के लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालनों को मांग पर संचालित करने का निर्णय लिया है। मांग पर टीएलटीआरओ के अंतर्गत किए गए निवेश को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के लिए पात्र माना गया, और इसे बड़े एक्सपोज़र फ्रेमवर्क (एलईएफ) के तहत गणना से छूट दी गई। इस योजना को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। • विकासात्मक और विनियामक नीतियों के वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, बैंकों को परिपक्वता से पहले टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन को चुकाने का विकल्प दिया गया था। इस योजना को 21 अक्टूबर, 2020 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, बैंकों द्वारा टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0 की ₹37,348 करोड़ की राशि का पुनर्भुगतान किया गया। • रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप सुविधाजनक तरलता की स्थिति बनाए रखने के लिए बाजार को आश्वस्त करने के लिए खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) के आकार को बढ़ाकर ₹20,000 करोड़ करने का निर्णय लिया। • राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) को चलनिधि प्रदान करने और कुशल कीमत निर्धारण की सुविधा के लिए, एसडीएल में 2020-21 के दौरान एक विशेष मामले के रूप में खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) के आयोजन करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, अक्टूबर 2020 से एसडीएल में तीन ओएमओ, कुल ₹30,000 करोड़ की राशि के, आयोजित किए गए।
4 दिसंबर 2020	9 अक्टूबर 2020 को घोषित ऑन टैप टीएलटीआरओ को 21 अक्टूबर 2020 को चिह्नित पांच क्षेत्रों के अलावा, 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों (कामथ समिति द्वारा चिह्नित और सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस 2.0) के तहत उपलब्ध क्रेडिट गारंटी के अनुरूप) को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया।
5 फरवरी 2021	5 फरवरी 2021 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों के वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, बैंकों को एनबीएफसी को मांग पर टीएलटीआरओ योजना के तहत निधि उपलब्ध करने की अनुमति दी गई थी।
विदेशी मुद्रा विभाग	
1 अप्रैल 2020	दिनांक 31 जुलाई 2020 तक अथवा इस तिथि को निर्यात किए गए माल या सॉफ्टवेयर अथवा सेवाओं के पूर्ण निर्यात-मूल्य को दर्शाने वाली राशि की वसूली तथा भारत में उक्त राशि के प्रत्यावर्तन की मौजूदा अवधि को, निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ा कर पंद्रह महीने किया गया।

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
3 अप्रैल 2020	भारत सरकार के साथ परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत निधि (पीएम-केयर्स फंड)' के पक्ष में अनिवासी विनिमय गृहों के माध्यम से अनिवासियों से विदेशी आवक विप्रेषण प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंक इन विप्रेषणों को 'पीएम- केयर्स फंड' में सीधे जमा करेंगे तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के अंतर्गत दान/योगदान भेजने वाले अनिवासियों के पूर्ण ब्यौरे अपने पास बनाए रखेंगे।
22 मई 2020	31 जुलाई 2020 को अथवा उससे पूर्व किए गए आयातों के संबंध में सामान्य आयातों *अर्थात* स्वर्ण/हीरे तथा मूल्यवान रत्नों/आभूषणों के आयात को छोड़कर (उन मामलों को छोड़कर जहां कार्यनिष्पादन की गारंटी जैसे कारणों से राशि को रोककर रखा गया है) विप्रेषणों को पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय-सीमा को शिपिंग की तारीख से छह महीनों से बढ़ा कर बारह महीने किया गया।
विनियमन विभाग	
27 मार्च 2020	• ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए और अर्थक्षम व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कुछ विनियामकीय उपायों की घोषणा की गयी। मुख्य विशेषताओं में सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए भुगतान का पुनर्निर्धारण, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को आसान बनाना और उपर्युक्त उपायों के कार्यान्वयन के मद्देनजर विशेष उल्लिखित खाता (एसएमए) और एनपीए के वर्गीकरण से छूट शामिल है। • पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625 प्रतिशत के अंतिम ट्रैंच के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से आगे 30 सितंबर 2020 तक स्थगित किया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2018 से लागू न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात 31 मार्च 2020 से आगे भी छः महीने की अवधि के लिए लागू होगा जब तक कि सीसीबी 30 सितंबर 2020 को 2.5 प्रतिशत का स्तर प्राप्त नहीं कर लेता । इसके अलावा, अतिरिक्त टिअर 1 लिखत बेमीयादी असंचयी अधिमानित शेयर तथा बेमीयादी कर्ज लिखत (पीएनसीपीएस और पीडीआई) रूपांतरण/राइट-डाउन के माध्यम से हानि के अवशोषण के लिए पूर्व-निर्धारित चेतावनी जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के 5.5 प्रतिशत पर बना रहेगा और 30 सितंबर 2020 को जोखिम भारित आस्तियों के 6.125 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। • 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक छः महीने की अवधि के लिए निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के कार्यान्वयन को स्थगित किया गया है।
1 अप्रैल 2020	प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि सीसीवाईबी (5 फरवरी 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार इसका फ्रेमवर्क, इस निर्णय कि पूर्व घोषणा के साथ स्थापित किया गया था कि जब कभी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो इसे सक्रिय किया जाएगा) को एक वर्ष की अवधि या उससे पहले जैसा कि आवश्यक हो, सक्रिय नहीं किया जाएगा।
17 अप्रैल 2020	• यह निर्णय लिया गया कि उन सभी खातों के संबंध में जिनके लिए ऋण देने वाली संस्थाएं अधिस्थगन या स्थगन देने का निर्णय लेते हैं, और जो 1 मार्च 2020 को मानक थे, 90 दिन के एनपीए मानदंड में, मानक अधिस्थगन अवधि शामिल नहीं है, अर्थात 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक ऐसे सभी खातों के लिए आस्ति वर्गीकरण पर रोक लगाई जाएगी। इसी के साथ बैंकों द्वारा पर्याप्त बफर बनाए रखना और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाए रखना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें दो तिमाहियों यानी मार्च 2020 और जून 2020 में चरणबद्ध तरीके से रोक के अंतर्गत आनेवाले ऐसे सभी खातों पर 10 प्रतिशत का उच्च प्रावधान बनाए रखना होगा । इन प्रावधानों को बाद में ऐसे खातों के वास्तविक स्लिपेज के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के समक्ष समायोजित किया जा सकता है। • 7 जून 2019 के रिज़र्व बैंक के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के अंतर्गत, वर्तमान में जो बड़े खातें चूक में हैं उनके मामले में यदि चूक की तारीख से 210 दिनों के भीतर समाधान योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है तो एससीबी को 20 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान रखना जरूरी है। वर्तमान अस्थिर वातावरण में दबाववग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए चुनौतियों को समझते हुए यह निर्णय लिया गया है कि समाधान योजना के लिए अवधि को 90 दिनों से बढ़ाया जाए।

कोविड -19 पर प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
	• अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और अत्यधिक अनिश्चितता के माहौल में घाटे को अवशोषित करने की अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए बैंकों की पूंजी के संरक्षण की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि एससीबी अगले निर्देश तक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ से आगे कोई लाभांश भुगतान नहीं करेंगे। 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही में बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर इस प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी। • व्यक्तिगत संस्थाओं के स्तर पर चलनिधि स्थिति को सहज बनाने के लिए, एससीबी की एलसीआर अपेक्षाओं को तत्काल प्रभाव से 100 प्रतिशत से 80 प्रतिशत किया गया। एलसीआर अपेक्षाओं को धीरे-धीरे दो चरणों में पुन:स्थापित किया जाएगा- 1 अक्टूबर 2020 तक 90 प्रतिशत और 1 अप्रैल 2021 तक 100 प्रतिशत।
29 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए, विभिन्न विनियामकीय विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए विनियमित संस्थाओं द्वारा 30 जून 2020 तक प्रस्तुत की जाने वाली विनियामकीय विवरणियों की समय सीमा बढ़ायी गयी है तथा यह विवरणियां नियत तारीख से 30 दिनों तक विलंब से प्रस्तुत की जा सकती हैं। हालांकि, सांविधिक विवरणियां, अर्थात बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949; आरबीआई अधिनियम 1934 या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित विवरणी (यथा, सीआरआर /एसएलआर से संबंधित विवरणी), प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा के विस्तार की अनुमति नहीं है।
13 मई 2020	भारत सरकार द्वारा उसी दायरे और कवरेज के साथ पोत-लदानपूर्व तथा पोत-लदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना एक और वर्ष के लिए अर्थात 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है और आरबीआई द्वारा उपर्युक्त योजना के अंतर्गत जारी किए गए सभी मौजूदा परिचालनगत दिशानिर्देश 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे।
22 मई 2020	22 मई 2020 से बैंक दर को 40 आधार अंक घटाकर 4.65 प्रतिशत से 4.25 प्रतिशत तक संशोधित कर दिया गया है। तदनुसार, रिज़र्व अपेक्षाओं की पूर्ति में कमी होने पर सभी प्रकार की दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं, कमी की अवधि के आधार पर बैंक दर और 3.0 प्रतिशत अंक (पहले के 7.65 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत) अथवा बैंक दर और 5.0 प्रतिशत अंक (पहले के 9.65 प्रतिशत से 9.25 प्रतिशत) संशोधित की गयी हैं।
23 मई 2020	• बाजार की आकस्मिक अनिश्चितताओं के कारण जिन कॉर्पोरेट को पूंजी बाजार से धन जुटाने में कठिनाइयां हो रही हैं और जो मुख्य रूप से बैंक फंडिंग पर निर्भर हैं, उन्हें संसाधनों के अधिक प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, बृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अंतर्गत संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति बैंक के एक्सपोजर को बैंक के पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। बढ़ी हुई सीमा 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। • मार्च और अप्रैल 2020 में जारी कोविड-19 विनियामकिय पैकेज को आगे बढ़ाते हुए वास्तविक अर्थव्यवस्था में वित्तीय दबाव के संचरण को रोकने के लिए और लॉकडाउन के विस्तार के कारण लगातार आर्थिक व्यवधान पर व्यवहार्य कारोबार और परिवारों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की गयी, जिनके अंतर्गत चुकौती के दबाव में छूट देने और ऋण चुकौती के बोझ को कम करके कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार शामिल हैं। • अस्थिर वातावरण में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की निरंतर चुनौतियों के कारण अप्रैल 2020 के पहले के अनुदेशों के अनुसरण में, समीक्षा के बाद, 7 जून 2019 के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क में निर्धारित समाधान समय सीमा को और आगे बढ़ा दिया गया। यह उन खातों के संबंध में लागू था, जो शर्तों के अधीन 1 मार्च 2020 की समीक्षा अवधि के भीतर और बाद में थे। • निर्यातकों द्वारा उत्पाद और उगाही चक्र में जिन वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें कम करने के लिए 31 जुलाई 2020 तक किए गए संवितरण के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत पोत-लदानपूर्व तथा पोत-लदान के पश्चात के निर्यात ऋण की अधिकतम स्वीकार्य अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 15 महीने किया गया है। यह 31 जुलाई 2020 तक किए गए निर्यात के संबंध में भारत में निर्यात से प्राप्त आय की उगाही और प्रत्यावर्तन की अवधि को निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ाकर 15 महीने करने की पहले ही दी गयी अनुमति के अनुक्रम में था।

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
21 जून 2020	एमएसएमई उधारकर्ताओं को भारत सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत दी गयी क्रेडिट सुविधाएं राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा गारंटीकृत है तथा भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी द्वारा समर्थित हैं। इसलिए उधार देने वाली सदस्य संस्थाएं, जैसे एससीबी, (अनुसूचित आरआरबी सहित), एनबीएफसी (योजना के अंतर्गत पात्र एचएफसी सहित) और एआईएफआई को गारंटी कवरेज की सीमा तक योजना के अंतर्गत दी गयी क्रेडिट सुविधाओं पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार आवंटित करने की अनुमति दी गयी।
6 अगस्त 2020	• कोविड-19 संबंधित तनाव के समाधान के लिए एक सुविधा [सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित), सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनी सहित), सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ (एआईएफआई) पर लागू] को वास्तविक क्षेत्र की गतिविधियों के पुनरुद्धार की सुविधा के लिए जारी किया गया था, जो कि कुछ स्थितियों के मद्देनजर कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गिरावट के कारण वित्तीय तनाव में थे। समाधान ढांचे का निर्णय अधिकतम 31 दिसंबर, 2020 तक लिया जाना था और वैयक्तिक ऋण के संबंध में 90 दिनों के भीतर और अन्य योग्य ऋण एक्सपोजर के लिए 180 दिनों के भीतर क्रियान्वित किया जाना था। समाधान योजना में शामिल होने वाले आवश्यक वित्तीय मापदंडों के लिए क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्क श्रेणियों पर रिज़र्व बैंक को अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने के लिए श्री के.वी. कामथ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन 7 अगस्त, 2020 को किया गया था। समिति ने 4 सितंबर, 2020 को अपनी रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को सौंपी। • कोविड-19 से प्रभावित व्यवहार्य एमएसएमई संस्थाओं को समर्थन देने की आवश्यकता को देखते हुए, एमएसएमई के लिए ऋणों के एकमुश्त पुनर्गठन की योजना को परिसंपत्ति वर्गीकरण में डाउनग्रेड के बिना उन मामलों में विस्तारित किया गया जहाँ उधारकर्ता का खाता 1 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार एक 'मानक आस्ति' था और बैंकों और एनबीएफसी का उधारकर्ता के गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित कुल एक्सपोजर ₹25 करोड़ से अधिक नहीं था। कुछ शर्तों के अधीन, उधारकर्ता खाते का पुनर्गठन 31 मार्च 2021 तक लागू किया जाना था।
7 सितंबर 2020	कोविड-19 संबंधित तनाव को देखते हुए योग्य उधारकर्ताओं के लिए एक समाधान योजना को अंतिम रूप देते समय उधारदात्री संस्थाओं द्वारा विचार किए जाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा श्री के.वी. कामथ की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित पांच प्रमुख अनुपातों/मापदंडों 26 क्षेत्रों के लिए तत्संबंधी सीमा अधिसूचित की गयी थी। अन्य क्षेत्रों के संबंध में, उधारदात्री संस्थाओं को कुछ शर्तों के अधीन अपना आंतरिक मूल्यांकन करने की अनुमति दी गई थी।
29 सितंबर 2020	• कोविड-19 के आलोक में संभावित दबाव को देखते हुए, बैंकों को पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की 0.625 प्रतिशत की अंतिम शृंखला के कार्यान्वयन को 30 सितंबर 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक स्थगित करने का सुझाव दिया गया। इसे तदन्तर 1 अक्टूबर, 2021 तक और छः महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), भुगतान बैंकों (पीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) पर सीसीबी लागू नहीं है। • कोविड-19 महामारी के कारण निरंतर जारी तनाव को देखते हुए, चलनिधि मानकों पर बासेल III फ्रेमवर्क के एनएसएफआर के क्रियान्वयन को 1 अक्टूबर 2020 से आगे बढ़ा कर 1 अप्रैल 2021 कर देने का निर्णय लिया गया। बाद में, कोविड-19 के कारण लगातार बने दबाव को देखते हुए, 5 फरवरी, 2021 को एनएसएफआर के क्रियान्वयन को 1 अप्रैल, 2021 से छः महीने के लिए और बढ़ा कर 1 अक्टूबर, 2021 तक स्थगित कर दिया गया।
12 अक्टूबर 2020	• 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच ली गई एसएलआर प्रतिभूतियों के संबंध में 22 प्रतिशत की बढ़ाई गई एचटीएम सीमा में (पूर्व में 19.5 प्रतिशत की तुलना में) एसएलआर धारिताओं की कुल सीमा के वितरण को 31 मार्च 2021 से बढ़ा कर 31 मार्च 2022 तक विस्तारित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस बढ़ाई गई एचटीएम सीमा को चरणबद्ध तरीके से 19.5 प्रतिशत तक लाया जाएगा, जो 30 जून 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही से शुरु होगा।

कोविड -19 पर प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
27 अक्टूबर 2020	सभी ऋणदाता संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे भारत सरकार द्वारा घोषित योजना (मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छः महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का *अनुग्रह भुगतान* देने के लिए योजना के प्रावधानों से निर्देशित हों।
4 दिसंबर 2020	कोविड-19 के कारण चल रहे तनाव और बढ़ रही अनिश्चितता को देखते हुए, यह आवश्यक समझा गया कि बैंक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और घाटे को अवशोषित करने के लिए पूंजी का संरक्षण जारी रखें। बैंकों के तुलन-पत्रों को और मजबूत करने के लिए तथा वास्तविक अर्थव्यवस्था में ऋण देने का समर्थन करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि बैंक 31 मार्च 2020 को 2019-20 से संबंधित मुनाफे से इक्विटी शेयरों पर कोई लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे।
5 फरवरी 2021	• मौद्रिक और चलनिधि स्थितियों की समीक्षा पर और 5 फरवरी 2021 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, गैर-विघटनकारी तरीके से सीआरआर को दो चरणों में धीरे-धीरे बहाल करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में, 28 मार्च 2020 के रिपोर्टिंग पखवाड़े से प्रभावी, सभी बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 100 आधार अंकों से घटाकर 3.0 किए जाने का निर्णय लिया गया। यह वितरण 26 मार्च 2021 को समाप्त होने पर अगले एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध था। तदनुसार, बैंकों को 27 मार्च 2021 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से प्रभावी एनडीटीएल के 3.50 प्रतिशत पर और 22 मई 2021 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी एनडीटीएल का 4.0 प्रतिशत सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता है। • 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022 के बीच अधिग्रहित प्रतिभूतियों को शामिल करने और एसएलआर के लिए पात्र प्रतिभूतियों के संबंध में एनडीटीएल के 22 प्रतिशत की बढ़ी हुई एचटीएम व्यवस्था को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही से एचटीएम की सीमा को 22 प्रतिशत से 19.5 प्रतिशत तक चरणबद्ध तरीके से सीमित किया जाएगा।
12 मार्च 2021	कोविड-19 के कारण पुनःसंरचना पर ऋण सूचना प्राप्त करने के लिए ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फार्मेट में कुछ बदलाव प्रभावित हुए थे। यह 6 अगस्त, 2020 के रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसने उधारदाताओं को विवेकपूर्ण ढांचे के तहत कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित योग्य उधारकर्ताओं के संबंध में एक समाधान योजना को लागू करने के लिए एक सुविधा प्रदान की और उधारदात्री संस्थाओं द्वारा सीआईसी को उधारकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट रिपोर्टिंग भी उपलब्ध कराई, जो उस खाते की "पुनर्संरचित" स्थिति को दर्शाएगी।
पर्यवेक्षण विभाग	
16 मार्च 2020	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को परिचालन और कारोबार निरंतरता योजनाओं के भाग के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों की सांकेतिक सूची के संबंध में सूचित किया गया है।
8 जुलाई 2020	1 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 के दौरान नियत (ड्यू) विभिन्न विनियामकीय विवरणियों की प्रस्तुति की समयसीमा बढ़ाई गई।
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	
3 अप्रैल 2020	रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कक्ष और केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) के अंतर्गत अधीनस्थ सभी कार्यालयों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कोविड-19 से संबंधित जनता की शिकायतों के त्वरित निपटान के संबंध में सूचित किया गया।
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	
1 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) की डब्ल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 की मौजूदा सीमा से 30 प्रतिशत बढ़ा दिया गया, जिससे राज्य सरकारें, राजकोषीय दबाव से उबर सकें। संशोधित सीमाएं 1 अप्रैल 2020 से लागू हुईं और 30 सितंबर 2020 तक उपलब्ध होंगी।
7 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों को उनके नकद प्रवाह के असंतुलन पर अधिक से अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के लिए उपलब्ध ओवरड्राफ्ट (ओडी) योजना की समीक्षा की गयी तथा कोई भी राज्य/ संघ शासित प्रदेश के सतत ओवरड्राफ्ट में रहने की सीमा को 14 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 21 कार्य दिवस की गयी। इसके अलावा कोई भी राज्य/संघ शासित प्रदेश की एक तिमाही में ओवरड्राफ्ट के दिवसों की संख्या 36 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 50 कार्य दिवस कर दी गयी।

घोषणा की तारीख़	नीतिगत पहल
17 अप्रैल 2020	राज्यों को नियंत्रण और शमन के प्रयासों को आरंभ करने के लिए अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने और उनके बाजार उधार लेने की योजना को बेहतर ढंग से सक्षम करने की दृष्टि से राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 के स्तर से ऊपर और अधिक 60 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। बढ़ी हुई सीमा 30 सितंबर 2020 तक उपलब्ध होगी।
20 अप्रैल 2020	भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की शेष अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा को ₹1,20,000 करोड़ से संशोधित कर ₹2,00,000 करोड़ किया जाए।
22 मई 2020	'समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) के गठन और प्रशासन की योजना' की समीक्षा की गयी और सीएसएफ से आहरण को नियंत्रित करने वाले नियमों में रियायत दी गयी तथा यह सुनिश्चित किया गया कि निधि में एक बड़ा कॉर्पस बरकरार रखा जाएगा।
29 सितंबर 2020	• राज्य सरकारों को कोविड-19 की रोकथाम और शमन के उपाय करने में अधिक-से-अधिक सुविधा प्रदान करने, और उन्हें बाजार उधार लेने की योजना बनाने में सक्षम बनाने की दृष्टि से, 31 मार्च 2020 की स्थिति के स्तर से बढ़कर राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों की अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा में 60% से अधिक की वृद्धि में 30 सितंबर 2020 तक छूट दी गई और इसे आगे 31 मार्च 2021 तक विस्तारित किया गया। • राज्य सरकारों को अपने नकदी प्रवाह असंगतियों को समाप्त करने के लिए लचीलापन प्रदान करने हेतु, ओवरड्राफ्ट (ओडी) नियमों में ढील दी गई और राज्य/ संघशासित क्षेत्र द्वारा लगातार ओवरड्राफ्ट में रहने के दिनों की संख्या 14 कार्य दिवसों से बढ़ा कर 21 कार्य दिवस की गई और राज्य/ संघशासित क्षेत्र द्वारा किसी तिमाही में ओवरड्राफ्ट में रहने की अवधि को 36 कार्य दिवसों से बढ़ा कर 50 कार्य दिवस किया गया। यह सुविधा 30 सितंबर 2020 तक सुलभ थी और इसे आगे 31 मार्च 2021 तक विस्तारित किया गया।
30 सितंबर 2020	कोविड-19 से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए बेहतर नकदी प्रबंधन और बाजार से उधार लेने की योजना बनाने के लिए, भारत सरकार के लिए वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही हेतु अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा ₹1,25,000 करोड़ तय की गई, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 257 प्रतिशत की वृद्धि है।
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	
16 मार्च 2020	प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से आम जनता को यह सूचित किया गया कि चौबीसों घंटे भुगतान प्रणाली उपलब्ध है तथा सामाजिक संपर्क से बचते हुए अपने घर से भुगतान करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
24 मार्च 2020	विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा को बढ़ाया गया।
4 जून 2020	भुगतान प्रणाली की विभिन्न अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को प्रदान की गयी समय-सीमा को और आगे बढ़ाया।
22 जून 2020	प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और सहभागियों को सूचित किया गया कि वे अपने उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान के सुरक्षित और विश्वसनीय उपयोग के बारे शिक्षित करने के लिए लक्ष्यित बहुभाषी अभियान शुरू करें।
4 दिसंबर 2020	संपर्क रहित कार्ड लेनदेन के लिए अधिप्रमाणन के अतिरिक्त कारक के छूट के लिए प्रति लेनदेन सीमा ₹2,000 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दी गई।
26 फरवरी 2021	खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने लिए समयावधि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया।
31 मार्च 2021	• भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) और उनके द्वारा ऑन-बोर्ड किए गए मर्चेंट द्वारा यह आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कि उनके डेटाबेस या सर्वर में ग्राहक के कार्ड क्रेडेंशियल्स स्टोर नहीं हैं, 31 दिसंबर 2021 तक एकबारगी विस्तार दिया गया। • कार्ड/ वॉलेट/ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करके आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के लिए ई-मैन्डेट के पंजीकरण और प्रोसेसिंग हेतु नए फ्रेमवर्क में शामिल होने की समयावधि को हितधारकों के लिए 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया।